अमर उजाला

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली । शनिवार, 2 फरवरी 2019

बजट केवल संख्याओं का संग्रह नहीं है, बल्कि हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है...
-जैक ल्यू

अमेरिकी राजनेता

सरकार के सामने अंतरिम बजट को ही यथासंभव लोकलुभावन बनाने की परीक्षा थी, जिसमें वह सफल रही है। इसी कारण बजट में आर्थिक अनुशासन का पालन करने के बजाय उपभोग के जरिये अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश की गई है।

अंतरिम बजट में चुनावी झलक

अरुण जेटली की अनुपस्थिति और अंतरिम बजट की सीमाओं के बावजूद कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में एकाधिक महत्वाकांक्षी और दूरगामी महत्व वाली घोषणाएं कीं, तो इसे समझा जा सकता है। वस्तुतः करीब दो महीने बाद लोकसभा चुनाव का सामना करने जा रही सरकार के सामने अंतरिम बजट को ही यथासंभव लोकलुभावन बनाने की परीक्षा थी, जिसमें वह सफल रही है। बजट में गांव, किसान, मध्यवर्ग और मजदूर वर्ग के अलावा वरिष्ठ नागरिक, पेंशनर और रियल एस्टेट क्षेत्र का भी कमोबेश ध्यान रखा गया है। दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में छह हजार रुपये की आर्थिक मदद देना और नौकरीपेशा मध्यवर्ग की आयकर छूट सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर सीधे पांच लाख करना सिर्फ बड़ी लोकलुभावन घोषणाएं ही नहीं हैं, बल्कि सरकार को उम्मीद है कि इससे उपभोग को गति मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। ऐसे ही असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए महत्वाकांक्षी पेंशन योजना की घोषणा की गई है, जिसे सरकार आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना के रूप में भी देख रही है। पर मुश्किल यह है कि उपभोग के जरिये अर्थव्यवस्था को गति देने की भोली उम्मीद से इतर राजस्व बढ़ाने के दूसरे स्रोतों के बारे में यह बजट कोई ठोस जानकारी नहीं देता। मसलन, वह यह नहीं बताता कि बजट में की गई लोकलुभावन घोषणाओं से राजकोष पर जो बोझ बढ़ने वाला है, उसकी भरपाई किस तरह से की जाएगी। व्यक्तिगत आयकर कम करने में जैसी उदारता दिखी, वैसी ही उदारता अगर बजट में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती पर दिखती, तो उद्योग-धंधे के अनुकूल माहौल बनता, लेकिन चुनावी साल में हर सरकार किसान और मध्यवर्ग हितैषी ही दिखना चाहती है। सरकार कर संग्रह और कर आधार में बढ़ोतरी की बात तो कर रही है, पर सिर्फ इससे बात नहीं बनने वाली। औसत महंगाई दर को दस फीसदी से घटाकर 4.6 प्रतिशत पर ले आने का श्रेय लेते हुए भुला दिया जाता है कि यह सरकार की अनुशासित नीतियों का परिणाम नहीं, बल्कि कच्चे तेल की कीमत लगातार कम रहने का नतीजा है। अगर वित्तीय अनुशासन का सचमुच पालन किया जाता, तो 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.1 फीसदी से बदलकर 3.4 प्रतिशत नहीं किया जाता। बल्कि लोकलुभावन घोषणाओं के बाद तो यह लक्ष्य पूरा हो पाना भी मुश्किल लगता है।

अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट

कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जो अंतरिम बजट पेश किया, वह पूरी तरह से आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें किसानों, मध्यवर्ग, वेतनभोगी समूह (चाहे वे सरकारी नौकरी में हों या निजी क्षेत्र में), पेंशनरों, वरिष्ठ नागरिकों को लुभाने की भरपूर कोशिश की गई है। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया में भी इस तरह की चर्चा थी कि चुनावी साल में सरकार बजट में लोकलुभावन घोषणाएं करेगी और ऐसा ही हुआ है। यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आज पेश किए बजट की मियाद तभी तक है, जब तक मौजूदा संसद की मियाद है। नई लोकसभा जब गठित होगी, तो वह साल की शेष अवधि के लिए अपना अलग बजट पेश करेगी।

पिछले दिनों जब कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, तो नतीजे सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ गए थे। उससे सरकार को यह अंदाजा लग गया होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में और मध्यवर्ग में काफी नाराजगी और असंतोष का भाव है। उसी के मद्देनजर सरकार इस अंतरिम बजट को लोकलुभावन बनाने पर बाध्य हुई है। अब इसका वित्तीय अमल किस तरह होगा, यह देखने वाली बात होगी। मोटे तौर पर देखें, तो इस बजट में राजस्व जुटाने पर कोई जोर नहीं दिया गया है, और जो भी घोषणाएं हुई हैं, वह अतिरिक्त खर्च ही है। वैसे तो यह बजट मात्र दो महीने तक ही चलेगा, क्योंकि 31 मार्च तक तो मौजूदा बजट ही चलेगा और उसके बाद यह बजट लागू होगा। हो सकता है, सरकार ने संसाधन जुटाने के लिए कुछ और कोशिशें की होंगी और सरकार को यह भी उम्मीद होगी कि पिछले वर्षों में कर राजस्व में

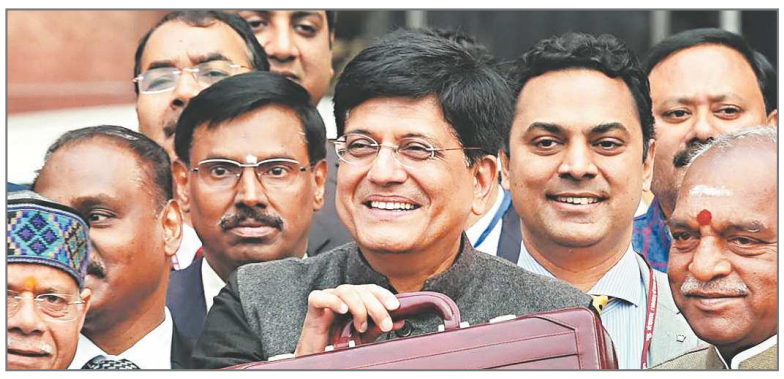

किसानों के लिए हर साल छह हजार रुपये आर्थिक मदद की जो घोषणा की गई है, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तथा विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ेगी।

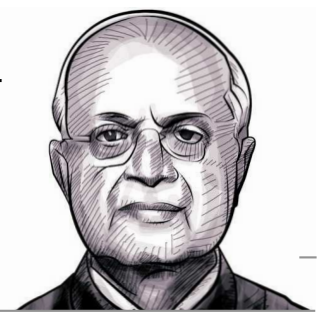

सी एम वासुदेव, पूर्व वित्त सचिव

जो बढ़ोतरी हुई है, उससे सरकार को सहूलियत होगी। इसके अलावा जीएसटी के स्थिर होने से भी ज्यादा राजस्व संग्रह की उम्मीद सरकार को हो सकती है और उससे सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं की भरपाई में कुछ हद तक मदद मिल सकती है।

इस बजट की सबसे प्रमुख बात है कि इसमें आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं निवेश करने पर 6.5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट का लाभ लिया जा सकता है। ऐसा मध्यवर्गीय लोगों को लुभाने के लिए किया गया है, जिन्हें जीएसटी और विमुद्रीकरण की वजह से काफी मार पड़ी थी और वे नाराज चल रहे थे। उनकी नाराजगी खत्म करने के लिए सरकार ने इस छूट की घोषणा की है। कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया कि इससे करीब तीन करोड़ लोगों को फायदा होगा। आयकर दाताओं की संख्या हमारे देश में कम है। पिछले कुछ वर्षों में आयकरदाताओं की संख्या में जो थोड़ा-बहुत इजाफा हुआ था, उसमें इस छूट से कमी ही आएगी, क्योंकि बहुत से लोग कर दायरे से बाहर हो जाएंगे। जहां हमारे देश में कर आधार बढ़ाने की जरूरत है, वहां पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर देने से कर आधार घटेगा ही, इससे दीर्घकालीन अर्थों में कर आधार कमजोर ही होगा।

वेतनभोगी तबके के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। ग्रेच्युटी की सीमा दस लाख रुपये से बढ़ाकर बीस लाख रुपये की गई है, जिससे सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्रों के वेतनभोगी तबके को फायदा होगा। इसके अलावा 21 हजार रुपये कमाने वालों को सात हजार रुपये बोनस योजना की भी घोषणा की गई है। और काम के दौरान श्रमिकों की मौत पर छह लाख रुपये मुआवजे देने का एलान किया गया है। 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपये का पेंशन, 15 हजार सैलरी वाले मजदूरों के लिए पेंशन की भी घोषणा की गई है।

छोटे एवं मंझोले किसानों के लिए भी सरकार ने हर साल छह हजार रुपये तक आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इसे दिसंबर, 2018 से लागू करने की बात कही गई है। यह काफी हद तक किसानों की नाराजगी दूर करने का काम कर सकती है। मैं समझता हूं कि इससे अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर पड़ेगा। किसानों के लिए जो हर साल छह रुपये आर्थिक मदद की घोषणा की गई है, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तथा विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ेगी, उससे मैन्यूफैक्चरिंग एवं कंज्यूमर इंडस्ट्री को फायदा होगा। जैसे-जैसे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, वैसे-वैसे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। टैक्स में छूट देने से भी लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है।

इसमें आशंका थोड़ी यह है कि हमारा देश विकासशील देश है। विकासशील देशों में विकास ज्यादातर निवेश से होता है, जबकि विकसित देशों में खपत (उपभोग) से विकास होता है। इस बजट में उपभोग पर ज्यादा जोर दिया गया है और निवेश पर कम। इससे अल्पकाल के लिए अर्थव्यवस्था को जरूर लाभ मिलेगा, लेकिन दीर्घकालीन अर्थों में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निवेश से ज्यादा बेहतर उपाय नहीं है।

सवाल उठता है कि सरकार इन सारे खर्चों की भरपाई कहां से करेगी। पिछले कुछ समय से कर राजस्व में वृद्धि हुई है, हो सकता है सरकार ने उससे भी इसकी भरपाई करने के बारे में सोचा हो। इसके अलावा निवेश पर खर्च कम करके वह इन सब लोकलुभावन योजनाओं पर ज्यादा खर्च कर सकती है। सरकार इसके अलावा बाजार से भी उधार ले सकती है। लेकिन इससे राजकोषीय घाटा कम करने के लक्ष्य को थोड़ा-सा झटका लग सकता है।

कुल मिलाकर कह सकते हैं, कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किया गया बजट पूरी तरह से चुनावी लाभ को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जिसमें समाज के विभिन्न तबकों का ध्यान रखा गया है। इसमें नाराज वोटबैंक को फिर से अपने पक्ष में लाने की स्पष्ट कोशिश दिखती है। अब देखने वाली बात है कि सरकार को आगामी चुनाव में इसका कितना राजनीतिक फायदा मिलता है, क्योंकि आज मतदाता ज्यादा सजग है, जो यह जानता है कि इतनी लोकलुभावन घोषणाएं महज चुनाव के कारण की गई हैं, अन्यथा नहीं की जातीं। आने वाले सरकार के लिए ये घोषणाएं चुनौती भी पैदा कर सकती है।

चुनावी दबाव का बजट

नरेंद्र मोदी सरकार का यह आखिरी बजट पूरी तरह चुनावी बजट है। मूलतः यह अंतरिम बजट है, इसलिए बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया गया। लेकिन चूंकि आगामी मई में नई सरकार आनी है, ऐसे में, होना तो यही चाहिए था कि बड़े आर्थिक फैसले आने वाली सरकार के लिए छोड़ दिए जाते। यही परंपरा है। सवाल यह है कि अंतरिम बजट में ताबड़तोड़ घोषणाओं की जरूरत और जल्दी क्यों थी। लेकिन यह सरकार हर काम अलग ढंग से ही करती है।

अंतरिम बजट की तीन घोषणाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं, और सरकार की महत्वाकांक्षा के बारे में ही बताती हैं। उसने दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को तीन किस्तों में छह हजार-यानी महीने में पांच सौ रुपये-देने की घोषणा की है। तेलंगाना और ओडिशा की सरकारें भी किसानों को इससे अधिक की आर्थिक मदद दे रही हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों किसानों के लिए न्यूनतम आय की जो बात कही, उसने सरकार को दबाव में ला दिया और उसी के तहत उसने यह कदम उठाया। इसे एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, लेकिन भूमिहीन किसानों को, अपने यहां जिनकी संख्या बहुत अधिक है, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला।

ऐसे ही पांच लाख तक की व्यक्तिगत आय तक आयकर छूट एक बड़ी घोषणा है। हालांकि इसकी गहराई में जाएं, तो पता चलता है कि इसमें

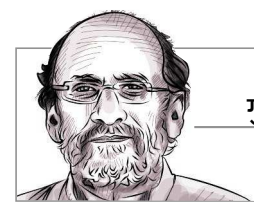

परंजय गुहाठाकुरता
वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार

परंपरा तो यही है कि अंतरिम बजट में बड़े आर्थिक फैसले आने वाली सरकार के लिए छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन सरकार ने इसे चुनावी बजट बना दिया है।

पांच लाख से कम की व्यक्तिगत आय पर ही आयकर छूट का लाभ मिलेगा, उससे अधिक की आय पर नहीं। यह अलग बात है कि आयकर छूट हासिल करने के लिए किए जाने वाले तमाम निवेश किए जाएं, तो ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन यहां मैं इससे जुड़ी एक दूसरी विसंगति की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। थोड़े दिनों पहले सरकार ने आर्थिक आरक्षण की घोषणा की, जिसके तहत सालाना आठ लाख रुपये तक की आय वाले गरीब हैं, इसलिए आरक्षण के हकदार हैं। अब सरकार ने पांच लाख तक की आय वाले को आयकर के बोझ से मुक्त कर दिया। यानी हम एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं, जिसमें गरीबी के दो मानक हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना कागज पर बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर इस पर अमल करा पाना कठिन है। इसकी वजह यह है कि साठ साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपये पेंशन पाने के लिए हर महीने पैसे जमा करना इन कामगारों की इच्छाओं पर निर्भर है। इस क्षेत्र की संरचना ही ऐसी है कि उसमें सरकार की किसी योजना को लागू करवा पाना अव्यावहारिक है।

सरकार के साथ मुश्किल यह है कि वह अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां गिनाते हुए अपनी कमियां छिपा रही है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बार-बार कहा कि अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है। उन्होंने बेरोजगारी के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा। अगर अर्थव्यवस्था सचमुच मजबूत हो रही है, तो बेरोजगारी की दर पिछले पैंतालीस साल में सबसे अधिक क्यों है? हद तो यह है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा बेरोजगारी पर दिए गए आंकड़े के बारे में नीति आयोग यह कह रहा है कि कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी नहीं दी है। जबकि कैबिनेट कभी इसे मंजूरी नहीं देती। नोटबंदी के दौर में भी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के दावे किए जा रहे हैं। कई मोर्चों पर सरकार के दावों और सच्चाई में फर्क है। जैसे एलईडी बल्ब के बारे में सरकार कुछ कह रही है, आंकड़ा कुछ बताता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी यही है। सरकारी आंकड़ों के प्रति विश्वसनीयता इस तरह पहले कभी नहीं घटी थी।

करदाताओं के लिए खुशी का मौका

कर में कटौती और छूट ऐसे शब्द हैं, जो करदाताओं को उत्साहित करते हैं और इस अंतरिम बजट ने यही काम किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में करदाताओं द्वारा करों का भुगतान करने और कर कानूनों का अनुपालन करने पर देशवासियों की तारीफ की। उनके अनुसार करदाताओं की संख्या बढ़ी है, जिससे पिछले कुछ वर्षों में कुल कर संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

बजट में प्रस्ताव रखा रखा गया है कि वित्त वर्ष 2019 -20 के दौरान पांच लाख रुपये तक कमाने वाले किसी भी शख्स को आयकर नहीं देना पड़ेगा। धारा-80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का निवेश करने वालों को अतिरिक्त फायदे मिलेंगे। मतलब यह हुआ कि गृह ऋण, स्वास्थ्य बीमा या दूसरी कर बचाने वाली योजनाओं में निवेश से कर छूट की सीमा सालाना साढ़े छह लाख रुपये की आमदनी तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब दस फीसदी का आयकर स्लैब नहीं होगा। शुरुआत बीस प्रतिशत आयकर से होगी और सामान्य तथा वरिष्ठ नागरिकों के अंतर को भी खत्म कर दिया गया है। इसी क्रम में बजट में वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती का भी जिक्र किया गया है। मेडिकल और यातायात भत्ते के रुप में पचास हजार रुपये की यह प्रस्तावित रकम पिछले साल की तुलना में दस हजार रुपये ज्यादा है।

करदाताओं को मिली सहूलियतें सेवानिवृत्त या उन लोगों, जो सिर्फ बैंकों और डाकघरों में अपनी जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर निर्भर हैं, को मिली हैं। दस हजार रुपये के बजाय अब इनको मिलने वाले ब्याज पर कर तभी लगेगा, जब राशि 40,000 रुपये से ज्यादा होगी। इसे कर छूट नहीं कहा जा सकता। इस सीमा के भीतर ब्याज अर्जित करने वालों को अब भी अपनी जमा पूंजी की ब्याज आय पर कर का भुगतान करना होगा। जो लोग नए प्रावधानों के दायरे में होंगे, वे कर के रिफंड के हकदार होंगे।

नारायण कृष्णमूर्ति, वरिष्ठ पत्रकार

बजट में करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा बचने का वायदा किया गया है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ने की उम्मीद है।

बजट में उन लोगों को भी लाभ देने की घोषणा की गई, जिनके पास कई घर हैं। अब उन्हें अपने दूसरे घर पर कोई भी कर नहीं देना होगा। मौजूदा नियम, जिसके तहत यदि आपका दूसरा घर है, तो किराये के रूप में आपकी आय में एक निश्चित रकम जुड़ जाती थी। धारा-54 के तहत दो घरों का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है। यदि आप अगले वित्तीय वर्ष में आवासीय संपत्ति बेचते हैं, तो आप निवेश के लिए दो संपत्तियों में छूट का दावा करने के पात्र होंगे।

ऐसा भी नहीं है कि करदाताओं को मिली राहत से उनकी बचत बढ़ेगी। जीएसटी के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों ने लोगों का खर्च बढ़ा दिया है। पहले से ही हम वित्तीय लक्ष्यों और सपने पूरे करने के लिए व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋण में वृद्धि देख रहे हैं। ईएमआई के सहारे सरकार लोगों के घर के सपने को हासिल करने में जरूर मदद करेगी; लेकिन यह तभी संभव होगा, जब उनकी वित्तीय हैसियत बढ़ती जाए। आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में यह एक बड़ा जोखिम है कि कर बचाने के लिए प्रधानमंत्री आवास या अन्य योजनाओं के तहत ऋण लिया जाए!

समझना यह है कि सरकार को पैसा कहां से मिल रहा है? कोई भी सरकार करों को तभी कम कर सकती है, जब उसे दूसरी जगह से अतिरिक्त कमाई हो रही हो। सभी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने वालों द्वारा भुगतान किए जाने वाले जीएसटी की सफलता ही सरकार को करदाताओं पर आयकर के बोझ को कम करने के लिए विश्वास दिला सकती थी। यह एक जेब से पैसे निकालने और दूसरे में डालने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए, इससे पहले कि आप कर बचत या अपने घर में ज्यादा लक्ष्मी आने की खुशी मनाएं, इत्मिनान से समझ लें कि आपको वास्तव में क्या हासिल हुआ। उदाहरण के लिए, 6,000 रुपये की वार्षिक बचत एक दिन में लगभग 15 रुपये की बचत है। वित्तीय उत्पादों में कर बचत निवेश के आर्थिक निहितार्थ को समझना होगा।

आम लोगों के सपनों का बजट

मौ जूदा सरकार का यह आखिरी बजट स्वप्न बजट रहा है। एनडीए पांच साल पहले एक स्वच्छ सरकार, सुशासन, रोजगार सृजन के वायदे और सभी भारतीय नागरिकों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रावधान के साथ सत्ता में आया था। इनमें से प्रत्येक वायदे को काफी हद तक पूरा किया गया है।

वर्ष 2013-14 में हम दुनिया की ग्यारहवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, लेकिन आज हम छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जीएसटी में दक्षता लाई गई है और हर महीने कर संग्रह हो रहा है। भारत ने सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों की कवरेज और गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार के साथ बुनियादी ढांचे के विकास में एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया गया है।

राजकोषीय स्थिति काफी नियंत्रण में है और 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा 3.4 फीसदी है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीएम-किसान योजना (वर्ष 2018-19 के लिए 20,000 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 75,000 करोड़ रुपये) के योजनागत आवंटन को छोड़कर इस वर्ष के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा 3.4 फीसदी और अगले वर्ष के लिए 3.1 फीसदी रहेगा। एनडीए द्वारा खर्च की गुणवत्ता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है और निहित स्वार्थों के कारण फैलाई गई आशंकाएं निराधार साबित हुई हैं।

समाज के अधिकांश वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस बजट को अच्छी तरह से तैयार किया गया है। बारह करोड़ छोटे और मंझोले कृषक परिवारों को 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष वार्षिक आय प्रदान की गई है। असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ श्रमिक 3,000 रुपये मासिक पेंशन की नई योजना से लाभान्वित होंगे। पिछले वर्ष शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। रक्षा क्षेत्र को भी काफी तवज्जो दी गई है। पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले मध्य वर्ग को कर से छूट दी गई है। वेतनभोगी वर्ग को 50,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। ये सारे उपाय भारत के लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

टी वी मोहनदास पई
वरिष्ठ अर्थशास्त्री

सरकार के लिए अंतरिम बजट होने के बावजूद इसमें पूर्ण बजट की दूरदर्शिता है, जिसमें समाज के आम लोगों-किसानों, मध्यवर्ग और कमजोर तबकों के हितों का ख्याल रखा गया है।

लेकिन जहां सबके लिए इस बजट में खुश होने की वजह है, वहीं स्टार्टअप उद्यमियों को खंड 56(2)(viib) के तहत कुख्यात एंजल टैक्स पर राहत नहीं मिली है। स्टार्टअप कारोबार के विस्तार के लिए पैसे जुटाते हैं। इसके एवज में पैसे देने वाली कंपनी या संस्था को वे शेयर जारी करते हैं, जो वाजिब कीमत के मुकाबले अक्सर ज्यादा कीमत पर जारी किए जाते हैं। शेयर की अतिरिक्त कीमत को आय माना जाता है। इस आय पर लगने वाले कर को एंजल टैक्स कहा जाता है। स्टार्ट-अप इंडिया के पक्ष में सबसे बड़ी बाधा के निवारण के लिए सरकार के पास यह एक सुनहरा मौका था। उम्मीद करनी चाहिए कि देर-सबेर सरकार इस पर विचार करेगी।

करोड़ों नए मध्यवर्गीय लोग पहली बार व्यवस्थित निवेश योजना में शामिल हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई बड़ी प्रशंसा देखने में नहीं आई है। उन पर पूंजीगत लाभ कर थोपना जल्दबाजी थी और इसलिए व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी कि उसे खत्म किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने से कुछ निराशा पैदा हुई है।

सरकार के लिए अंतरिम बजट होने के बावजूद इसमें पूर्ण बजट की दूरदर्शिता है। कुछ लोग चुनावी बजट कहकर इकी आलोचना करते हैं, जो निस्संदेह चुनावी है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी मई में होने वाले चुनाव के लिए कमर कस रही है। लेकिन कुल मिलाकर यह आम आदमी-किसानों, मध्य वर्ग और कमजोर तबकों के लिए एक अच्छा बजट है।

-लेखक एरियन कैपिटल के चेयरमैन हैं।

किसान और मदद के हकदार

मैं नहीं जानता कि दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान परिवारों को हर महीने सीधे मिलने वाले पांच सौ रुपये की आय 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को भयंकर कृषि संकट से उबारने में कैसे सक्षम होगी। और न ही मैं यह समझ पा रहा हूं कि यह मामूली-सी मदद किसानों की आत्महत्याओं को रोकने में कैसे सहायक होगी। नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 के मुताबिक, किसानों की औसत आय 8,931 रुपये प्रति महीने होनी चाहिए। इसकी तुलना में और किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य के लिहाज से पांच सौ रुपये बहुत ही कम हैं।

अंतरिम बजट पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों की हताशा कम करने के लिए भारी उत्साह के साथ एक नई योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) नामक इस योजना की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये दिए जाएंगे। मौजूद वित्त वर्ष के लिए संशोधित बजटीय आवंटन करते हुए इसके लिए उन्होंने 20,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। किसानों को आय में सीधी मदद करने वाली इस योजना के लिए प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपये की बजटीय आवंटन आवश्यकता होगी। इस योजना का विचार संभवतः तेलंगाना से लिया गया है, जहां मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को उनकी प्रसिद्ध रायतु बंधु योजना का चुनावी लाभ मिला, जिसमें शुरू में किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये सालाना मदद दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

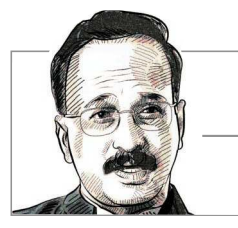

देविंदर शर्मा
कृषि नीति विशेषज्ञ

पीएम-किसान के लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान कर दिए हैं। वह चाहती, तो इसे दोगुना कर सकती थी, जो कि किसानों की आय बढ़ाने में सार्थक रूप से मददगार होता। छोटे किसानों को 12,000 रुपये की मदद से बजटीय आवंटन को दोगुना करना पड़ता। जहां यह प्रश्न है कि इसके लिए पैसा कहां से आता, तो इसका जवाब यह है कि उद्योगों को 2008-09 की वैश्विक मंदी के बाद से दी जा रही 1,86 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय मदद रोकी जाए। दस साल बाद इस पैकेज का कोई आर्थिक औचित्य नहीं है। दस वर्षों में उद्योगों को 18.60 लाख करोड़ रुपये इस पैकेज के रूप में दिए गए हैं, लेकिन इसकी वजह से हुए वित्तीय असंतुलन को लेकर कोई सवाल नहीं करता। यह धन किसानों को क्यों स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था?

तेलंगाना की तरह केंद्र ने प्रत्यक्ष आय मदद को ऐसे किसानों तक सीमित रखा है, जिनकी खुद की जमीन है। लेकिन रायतु बंधु में जमीन की कोई सीमा नहीं है, यानी यदि किसी किसान के पास दस एकड़ जमीन है, तो उसे उसी के अनुपात में मदद मिलेगी। केंद्र ने यह सीमा दो हेक्टेयर जमीन तक सीमित कर दी है। छोटे किसानों तक पहुंचने का यह निश्चित ही अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें बटाईदार किसानों को छोड़ दिया गया है, खेतिहर आबादी में उनकी हिस्सेदारी 40 से 45 फीसदी है। प्रत्यक्ष आय मदद की राशि कम होने के बावजूद भूमिहीन किसान और खेतिहर मजदूर इसे लेकर आवाज उठा सकते हैं।

सरकार चाहती तो ओडिशा में चल रही ऐसी योजना से सीख ले सकती थी। इस योजना का नाम है, कालिया- कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड ऐंड ऑग्मेंटेशन- यह योजना इस तरह तैयार की गई है, ताकि भूस्वामी और भूमिहीन, दोनों तरह के किसानों को वित्तीय, आजीविका और बीमायुक्त खेती संबंधी मदद मिले। तेलंगाना और ओडिशा में किसानों को जो मदद दी जा रही है, वह अधिकतम दस हजार रुपये सालाना है।

प्रत्यक्ष आय मदद आज आर्थिक सचाई बन चुकी है। सबसे पहले मैंने जब इसकी बात की थी, तो मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन वर्षों बाद एहसास हुआ कि बाजार में किए गए सुधारों ने किसान समुदाय को नजरंदाज कर दिया। इसने मुझे स्मरण करा दिया कि किस तरह देवीलाल ने वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की थी। इसकी शुरुआत डेढ़ सौ रुपये महीने से हुई थी और आज हरियाणा जैसे राज्य में यह 2,000 रुपये महीने है। किसानों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष मदद का प्रभाव आने वाले वर्षों में तेज विकास के रूप में दिखने की उम्मीद है।

तेलंगाना के 'रायतु बंधु' और ओडिशा के 'कालिया' की तर्ज पर पीएम-किसान योजना लाई गई है, लेकिन सरकार चाहती तो छह हजार के बजाय 12,000 रुपये सालाना की मदद छोटे किसानों को दे सकती थी।